फा.सं. 22011/1/2010-एमपीआर

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 9 फरवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मैसर्स द धर्मसी मोरारजी केमिकल्स एएस.लि.(डीएमसीसी) तथा मैसर्स फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड, कोलकाता द्वारा 1-10-2009 से लागू सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) उर्वरक के लिए दिनांक 13-8-2009 की संशोधित नीति के अंतर्गत डीएमसीसी की खेमली इकाई में तीन माह की अवधि के दौरान एसएसपी के उत्पादन हेतु उत्पादन मानक को मान्यता देने के लिए प्रभावी तारीख के अनुसार 1-10-2009 से विचार करने के संबध में प्राप्त अभ्यावेदन

******

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक विभाग ने मैसर्स डीएमसीसी, खेमिल इकाई को 13-8-2009 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 16-10-2009 के पत्र सं. 17011/3/2009-एमपीआर के पत्र द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 01-10-2009 से 31-3-2010 तक मैसर्स फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड के जरिए एसएसपी की बिक्री के लिए विपणन व्यवस्था प्रदान की है।

2. ऊपर उल्लिखित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि 1 अक्तूबर, 2009 से एसएसपी के लिए तदर्थ रियायत केवल उन्हीं पात्र एसएसपी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी वार्षिक क्षमता उपयोग कम से कम 50% है या एसएसपी का वार्षिक उत्पादन 40,000 मी.टन, जो भी कम हो। क्षमता उपयोग/उत्पादन को मान्यता देने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2009 तक की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। 1 अक्तूबर,2009 से एसएसपी की बिक्री के लिए तदर्थ राजसहायता के मानक हेतु यथानुपात आधार पर दिलांक 13-8-2009 की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के लिए इकाई के क्षमता उपयोग/उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, उर्वरक विभाग द्वारा उत्पादन मानक की गणना के लिए प्रभावी तारीख को मामला-दर-मामला आधार पर एसएसपी इकाइयों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार विचार किया जा सकता है।

3. मैसर्स डीएमसीसी और मैसर्स द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड ने क्रमश: 18-12-2009 और 21-12-2009 को अभ्यावेदन देते हुए 13-8-2009 की बजाय उपर्युक्त तीन माह की अवधि के दौरान खेमली इकाई में उत्पादित एसएसपी के लिए उत्पादन मानक की मान्यता के लिए प्रभावी तारीख/अवधि के रूप में 1-10-2009 से 31-12-2009 तक की अवधि पर विचार करने का अनुरोध किया है।

4. मामले की विभाग में जांच की गई है और तदनुसार ऊपरउक्त कंपनियों के अनुरोध को मान लिया गया है। पीडीआईएल अपनी छः माह की रिपोर्टों में इकाइयों के उत्पादन की निगरानी करेगी।

5. इसे संयुक्त सचिव(पी एंड पी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष और फैक्स सं. 23387197

निदेशक(वित्त सलाहकार)
उर्वरक विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. मुख्य सचिव, सभी कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि)
2. निदेशक, राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के कृषि निदेशालय
3. एफएआई, 10 जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
4. सीए/ पी एंड एओ
5. निदेशक (वित्त)/एएफए/अनुभाग अधिकारी(वित्त)
6. अवर सचिव (रियायत विंग)/सहायक निदेशक(रियायत विंग)
7. पीडीआईएल
8. डीएमसीसी/मैसर्स फोस्फेट कंपनी लिमिटेड

(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार